

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17012024-251391
SG-DL-E-17012024-251391असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2024/पौष 27, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 391
No. 24]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2024/PAUSHA 27, 1945	[N. C. T. D. No. 391

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIव्यापार एवं कर विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 16 जनवरी, 2024

फा0 सं0 VI/एच-1/व्यापार एवं कर विभाग/स्था0/2018/भर्ती नियम-II/454.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में चालक, ग्रेड-II के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को व्यापार एवं करविभाग, चालक, ग्रेड-II भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-उक्तपदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :-**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **विधिल करने की शक्ति :-**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को छूट दे सकती है।6. **बचाव:-** इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या किसी अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)
2.	पदों की संख्या	:	07* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रुपये 25500-81100/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नतिद्वारा	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी है, ...	:	पदोन्नति :- ग्रेड में 09 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-2 (रुपये 19900-63200/-) में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) तथा उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रेड परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। टीप :- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि से न्यून न हो; आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	पदोन्नति के विचारार्थसमूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति : 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0)—अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष—सदस्य 3. उप—सचिव (शह0वि0) —सदस्य टीप :-यदि विभागीय पदोन्नति समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
तपस्या राघव, विशेष आयुक्त (व्यापार एवं कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 16th January, 2024

F. No. VI/H-I/DT&T/Estt./2018/RR-II//454.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him. (i) dated, the 13" July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of 'Driver, Grade- II in Department of Trade & Taxes, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Department of Trade and Taxes, Driver, Grade-II, Recruitment Rules, 2023.

(i) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Pay Level in Pay Matrix**—The number of the said posts, their classification and the level of pay thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** —The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications**—No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operations of this rule.

5. **Power so to relax.** —Where the Government is of the opinion that it is necessary any of to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.(Name of the post)	Staff Car Driver (Grade –II)
2.(Number of Posts)	07*(2023) *Subject to variation dependent on work load
3.(Classification)	General Central Service Group ‘C’ Non-Gazetted, Non Ministerial
4.(Level in the Pay Matrix)	Level -4 (Rs. 25500-81100) of the Pay Matrix
5.(Whether selection or Non-Selection post)	Non- Selection
6.(Age limit for Direct Recruits)	Not Applicable
7.(Educational & other qualification required for Direct Recruits.)	Not Applicable
8.(Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees).	Not Applicable
9.(Period of probation, if any)	Not applicable
10.(Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion ...)	By Promotion
11.(In case of recruitment by Promotion / Deputation / Absorption, ...)	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Level 2 (Rs. 19900-63200/-) of the Pay Matrix with 09 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government, GNCDDT. Note: <i>Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service</i>
12.(If a DPC exists, what is its composition)	Group-‘C’ DPC for considering promotion: 1. Principal Secretary/ Secretary (PWD)- Chairperson 2. Head of the Department Concerned – Member 3. Dy. Secretary (UD)- Member Note: <i>Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee</i>
13.(Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment)	Not applicable

By the Order and in the Name of Lieutenant Governor of the

National Capital Territory of Delhi,

TAPASYA RAGHAV, Spl. Comm. (Trade & Taxes)